"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017—भाद्र 24, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार साहू (भा.व.से.-1990) सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आयुक्त सह-संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2017-AIS(I)-B, दिनांक 10-08-2017 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला	10-08-2017	उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग
2.	श्री जन्मेजय महोबे	10-08-2017	उप सचिव, राजभवन सचिवालय
3.	श्री रिमिजियूस एक्का	10-08-2017	उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
4.	श्री जीवन किशोर ध्रुव	10-08-2017	अपर कलेक्टर, राजनांदगांव
5.	श्री तारन प्रकाश सिन्हा	10-08-2017	मुख्य सचिव के उप सचिव
6.	सुश्री इफ्फत आरा	10-08-2017	उप सचिव, खनिज साधन विभाग
7.	सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा	10-08-2017	अपर कलेक्टर, दुर्ग
8.	सुश्री पुष्पा साहू	10-08-2017	उप सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग
9.	श्री संजय अग्रवाल	10-08-2017	अपर कलेक्टर, दुर्ग

2. सरल क्रमांक 2 एवं 8 पर दर्शित अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति के दिनांक 10-08-2017 से, राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002), विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्रमांक 2310/153/2017/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा) मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 22-09-2017 से 29-09-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक कर्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा) मुख्यमंत्री सचिवालय में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्रमांक 1363/LV-1-683-2017-Jul./1-8/स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 02-08-2017 से 09-08-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया आगामी आदेश तक उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राम प्रसाद राठिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 10-5/2016/16.—छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/16, दिनांक 20-12-2016 के बिन्दु (ब) के (V) में उल्लेखित "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक" को ई-रिक्शा सहायता योजना से विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक/5661/एफ-04-05/उर्वरक/2016-17/14-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रायपुर, छत्तीसगढ़ को जैव उर्वरक, जैविक उर्वरक एवं अखाद्य तेल रहित खली उर्वरक नमूनों के विश्लेषण के लिए अधिसूचित करती है तथा इस प्रयोगशाला में कार्यरत ऐसे समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 29 क में विहित अर्हता रखते हों, को उक्त प्रयोगशाला के लिए विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है.

No./5661/F-04-05/fertilizer/2016-17/14-2.—In exercise of the power conferred by clause 29 of the Fertilizer (Control) order, 1985 State Government, hereby, Notifies the Bio-Fertilizer and organic fertilizer testing and quality control laboratory, Raipur, Chhattisgarh for analysis of bio-fertilizer, organic fertilizer and non edible de-oiled cake fertilizer samples and appoints all Senior Agriculture Development Officer working in this laboratory, who possesses the qualification prescribed in clause 29A of the Fertilizer (Control) Order, 1985 as Analyst for the said laboratory.

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक/5834/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2017 हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्र. 4211 दिनांक 24-05-2017 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3 (क) में उल्लेखित "वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु 01-04-2017 से 31-7-2017 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो." के स्थान पर "वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु कृषकों से बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो." पढ़ी जावे.

2. अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-राजनांदगांव, तहसील-खैरागढ़, आरआई सर्किल-पाडादाह के तालिका की सरल क्र. 47 में उल्लेखित ग्राम पंचायत सिंगारघाट तथा अंतिम सरल क्र. 60 के आगे स. क्र. 61 में ग्राम पंचायत "जुरलाकला" को जोड़ते हुये उनके सम्मुख "√" चिन्हित फसल को अधिसूचित किया जाता है :—

क्र.	ग्राम पंचायत	धान (सिं.)	धान (असिं.)	मक्का	सोयाबीन	तुअर	मूंग	मूंगफल्ली	उड़द
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47	सिंगारघाट	√	√	0.00	√	4.39	0.00	0.00	√
61	जुरलाकला	√	√	0.00	√	6.60	4.23	0.00	√

3. जिला-धमतरी, तहसील-नगरी, आरआई सर्किल-नगरी सिहावा के तालिका के स. क्र. 97 में उल्लेखित ग्राम पंचायत सेमरा को विलोपित किया जाता है तथा अंतिम सरल क्र. 99 के आगे स. क्र. 100 में ग्राम पंचायत "करही" को जोड़ते हुये निम्नानुसार सरल क्रमांकवार उल्लेखित ग्राम पंचायत में उनके सम्मुख "√" चिन्हित फसल को अधिसूचित किया जाता है :—

क्र.	ग्राम पंचायत	धान (सिं.)	धान (असिं.)	मक्का	सोयाबीन	तुअर	मूंग	मूगफल्ली	उड़द
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	गट्टासिल्ली	6.95	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	मुनईकेरा	√	√	5.05	0.00	1.70	0.00	1.90	12.00
35	कोंगेरा	12.14	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
43	हिर्रीडिही	√	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
51	कट्टीगांव	√	√	√	0.00	2.95	10.05	0.00	9.37
100	करही	0.00	√	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-लखनपुर, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डांडकेसरा (ब)	31/डांडकेसरा	221	20.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 09.
			217	38.000	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 17.
			218	75.000	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 19.
			219	40.000	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 19 से 26. एवं 26 से सर्वे मुनारा क्र. 01.
		योग	**4**	**173.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the

Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Lakhanpur, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dandkeshara (B)	31/Dandkeshara	221 217 218 219	20.000 38.000 75.000 40.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 09. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 09 to 17. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 17 to 19. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 19 to 26 and 26 to Survey Pillar No. 01.
		Total	**4**	**173.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-लखनपुर, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डांडकेसरा (स)	31/डांडकेसरा	249/1	46.125	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 05.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			250/2	52.875	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 08 एवं धर्मजयगढ़ वनमण्डल के बोरो परिक्षेत्र सीमा. **दक्षिण :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के बोरो परिक्षेत्र सीमा. **पश्चिम :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के बोरो परिक्षेत्र सीमा से आर.एफ. डांडकेसरा कक्ष क्र. पी.-2337 एवं सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03.
		योग	**2**	**99.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Lakhanpur, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dandkeshara (C)	31/Dandkeshara	249/1 250/2	46.125 52.875	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 03 to 05. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 05 to 08 and Boro Range Boundary of forest division Dharmjaigarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					South : Boro Range Boundary of Forest division Dharamjaigarh. **West :** Boro Range Boundary of Forest division Dharamjaigarh to R.F. Dandkeshara compartment No. P.-2337 and Survey Pillar No. 01 to 03.
		Total	**2**	**99.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केसरा (अ)	5/केसरा	236 1239	26.000 24.000	**उत्तर :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 12. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा. **दक्षिण :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा. **पश्चिम :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा.
2.	केसरा (ब)	5/केसरा	1244	35.000	**उत्तर :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 07. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 07 से 12.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा.
					पश्चिम : धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा रेखा.
		योग	**3**	**85.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Lakhanpur, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Keshra (A)	5/Keshra	236 1239	26.000 24.000	**North :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh to Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 12. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 12 to Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					South : Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh. **West :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh.
2.	Keshra (B)	5/Keshra	1244	35.000	**North :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh to Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 07. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 07 to 12. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 12 to Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh. **West :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh.
		Total	**3**	**85.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	केसरा (स)	5/केसरा	1 159	18.000 28.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 18. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 18 से 25. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 25 से 37 एवं 37 से 01.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	केसरा (द)	5/केसरा	190	18.000	**उत्तर :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03 एवं 03 से प्रस्तावित कक्ष केसरा (स) के सर्वे मुनारा क्र. 25. **पूर्व :** प्रस्तावित कक्ष केसरा (स) के मुनारा क्र. 25 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 06. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 06 से 10 एवं धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा. **पश्चिम :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र सीमा
		योग	**3**	**64.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Keshra (C)	5/Keshra	1 159	18.000 28.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 02.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					East : Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 02 to 18. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 18 to 25. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 25 to 37 and 37 to 01.
2.	Keshra (D)	5/Keshra	190	18.000	**North :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh to Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 03 and 03 to Survey Pillar No. 25 of proposed compartment Keshra (C). **East :** Survey Pillar No. 25 of proposed compartment Keshra (C) to Artificial Boundary line Survey Pillar No. 04 to 06. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 06 to 10 and Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh. **West :** Kapu Range Boundary of Forest Division Dharamjaigarh.
		Total	**3**	**64.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुदारीडीह (अ)	5/कुदारीडीह	468	10.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 11 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 21 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 32 एवं 32 से 01.
2.	कुदारीडीह (ब)	5/कुदारीडीह	580	10.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 10 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 10 से 18 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 18 से 21 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 30 एवं 30 से 01.
		योग	**2**	**20.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kudaridih (A)	5/Kudaridih	468	10.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 02.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					East : Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 02 to 11. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 11 to 21. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 21 to 32 and 32 to 01.
2.	Kudaridih (B)	5/Kudaridih	580	10.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 01 to 10. **East :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 10 to 18. **South :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 18 to 21. **West :** Artificial Boundary Line Survey Pillar No. 21 to 30 and 30 to 01.
		Total	**2**	**20.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	करम्हा	2/करम्हा	250	83.000	**उत्तर :** आरक्षित वन कक्ष क्र. पी.-2316 के सीमा रेखा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03 एवं प्राकृतिक सीमा रेखा मछली नदी. **पूर्व :** प्राकृतिक सीमा रेखा मछली नदी से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 08.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					दक्षिण : प्राकृतिक सीमा रेखा मछली नदी से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 08 से 16. **पश्चिम :** आरक्षित वन कक्ष क्र. पी.-2316 की सीमा रेखा.
		योग	**1**	**83.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Karmha	2/Karmha	250	83.000	**North :** R. F. Compartment No. P.-2316 Boundary Line to Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 03 and Natural Boundary line Machhali River. **East :** Natural Bundary Line Machhali River to Artificial Boundary Line Survey pillar No. 05 to 08.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					South : Natural Bundary Line Machhali River to Artificial Boundary Line Survey pillar No. 08 to 16. **West :** R. F. Compartment No. P.-2316 Boundary Line.
		Total	**1**	**83.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रोपाखार (अ)	6/रोपाखार	1	15.000	**उत्तर :** आरक्षित वन कक्ष क्र. पी.-2344 के सीमा रेखा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 07 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 07 से 10 एवं 10 से आरक्षित वन कक्ष क्र. पी.-2344 की सीमा रेखा. **पश्चिम :** आरक्षित वन कक्ष क्र. पी.-2344 की सीमा रेखा.
		योग	**1**	**15.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasara No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ropakhar (A)	6/Ropakhar	1	15.000	**North :** R. F. Compartment No. P.-2344 Boundary Line to Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01. **East :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 07. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 07 to 10 and 10 to R. F. Compartment No. P.-2344 Boundary Line. **West :** R. F. Compartment No. P.-2344 Boundary Line.
		Total	**1**	**15.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रोपाखार (ब)	6/रोपाखार	1038	12.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 15 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 19 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 19 से 30 एवं 30 से 01.
		योग	**1**	**12.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land

comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasara No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ropakhar (B)	6/Ropakhar	1038	12.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 02. **East :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 02 to 15. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 15 to 19. **West :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 19 to 30 and 30 to 01.
		Total	**1**	**12.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-सरगुजा, मण्डल-सरगुजा, वनमण्डल-अम्बिकापुर, तहसील-मैनपाट, परिक्षेत्र-मैनपाट

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	प.ह. क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरभंजा (अ)	4/सरभंजा	1645	15.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 05 **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 14 **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 15 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 20 एवं 20 से 01.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सरभंजा (ब)	4/सरभंजा	1049	4.080	**उत्तर :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र की सीमा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 23.
			1053	7.060	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 23 से 25 एवं 25 से धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र की सीमा.
			1050	1.510	**दक्षिण :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र की सीमा रेखा.
			1051	0.730	**पश्चिम :** धर्मजयगढ़ वनमण्डल के कापु परिक्षेत्र की सीमा.
			1052	0.620	
			1561	0.780	
			1562	0.400	
			1563	0.620	
			1564	0.420	
			1566	0.510	
			1567	0.900	
			1569	0.180	
			1581	0.870	
			1582	0.830	
			1583	1.320	
			1584	0.680	
			1585	0.740	
			1586	1.340	
			1587	0.670	
			1588	0.730	
			1590	0.790	
			1591	0.770	
			1592	0.630	
			1593	1.450	
			1594	0.690	
			1595	0.750	
			1596	1.060	
			1597	1.100	
			1598	0.530	
			1599	0.650	
			1600	0.660	
			1601	1.010	
			1602	0.350	
			1603	0.840	
			1604	0.790	
			1605	0.830	
			1606	1.220	
			1607	0.770	
			1608	1.680	
			1609	0.790	
			1611	0.150	
			1612	0.280	
			1613	0.700	
			1614	2.190	
			1615	0.650	
			1616	0.370	
			1617	1.320	
			1618	0.700	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1619	0.930	
			1644	5.360	
			1621	2.530	
			1622	1.150	
			1568	0.800	
			1624	0.470	
			1069	2.490	
			1589	0.750	
			1610	0.810	
		योग	**58**	**79.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ambikapur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Surguja, Division-Surguja, Forest Division-Ambikapur, Tahsil-Mainpat, Range-Mainpat

S. No.	Name of Forest Block	P.H. No. and Revenue Village Where Forest Block are Situated	Khasra No.	Area in Ha.	Description of bondaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sarbhanja (A)	4/Sarbhanja	1645	15.000	**North :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 05.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					East : Artificial Boundary Line Survey pillar No. 05 to 14. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 14 to 15. **West :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 15 to 20 and 20 to 01.
2.	Sarbhanja (B)	4/Sarbhanja	1049	4.080	**North :** Kapu Range Boundary of forest Division Dharamjaigarh to Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 23. **East :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 23 to 25 and 25 to Kapu Range Boundary of forest Division Dharamjaigarh. **South :** Kapu Range Boundary of forest Division Dharamjaigarh. **West :** Kapu Range Boundary of forest Division Dharamjaigarh.
			1053	7.060	
			1050	1.510	
			1051	0.730	
			1052	0.620	
			1561	0.780	
			1562	0.400	
			1563	0.620	
			1564	0.420	
			1566	0.510	
			1567	0.900	
			1569	0.180	
			1581	0.870	
			1582	0.830	
			1583	1.320	
			1584	0.680	
			1585	0.740	
			1586	1.340	
			1587	0.670	
			1588	0.730	
			1590	0.790	
			1591	0.770	
			1592	0.630	
			1593	1.450	
			1594	0.690	
			1595	0.750	
			1596	1.060	
			1597	1.100	
			1598	0.530	
			1599	0.650	
			1600	0.660	
			1601	1.010	
			1602	0.350	
			1603	0.840	
			1604	0.790	
			1605	0.830	
			1606	1.220	
			1607	0.770	
			1608	1.680	
			1609	0.790	
			1611	0.150	
			1612	0.280	
			1613	0.700	
			1614	2.190	
			1615	0.650	
			1616	0.370	
			1617	1.320	
			1618	0.700	
			1619	0.930	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1644	5.360	
			1621	2.530	
			1622	1.150	
			1568	0.800	
			1624	0.470	
			1069	2.490	
			1589	0.750	
			1610	0.810	
		Total	**58**	**79.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है, और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वन मण्डल-रायगढ़, तहसील-सारंगढ़, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का क्र. एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कंवरगुड़ा	कंवरगुड़ा (अ) प.ह.नं. 44	25/8	4.050	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 3 **पूर्व :** संरक्षित वन दमका कक्ष क्र. 1060 पी. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 4 से 6 **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 6 से 1
		योग	**01**	**4.050**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2, दिनांक 05-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 5th June 2017

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Raigarh, Tahsil-Sarangarh, Forest Range-Sarangarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Revenue village Where Block Situated	Khasara No.	Area in Hectare	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kanwarguda	Kanwarguda (A) P.H.No. 44	25/8	4.050	**North :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 1 to 3. **East :** P. F. Damka Compartment No. 1060 P. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 4 to 6. **West :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 6 to 1.
		Total	**01**	**4.050**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-8/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 14-6-2017 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रामपुर प.ह.नं. 13	574	29.60 एकड़ में से 5.00 एकड़	वृक्षारोपण	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल)

2. उक्त उपांतरण कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-54/2014/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 03-6-2015 द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जुनवानी प.ह.नं. 21	832 एवं 837	3.80 एकड़	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल)

2. उक्त उपांतरण कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक-एफ 7-58/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-11-2014 द्वारा गठित छुरिया जिला राजनांदगांव निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम हालेकोसा एवं भण्डारपुर को शामिल करते हुए, पुनर्गठित छुरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची—एक

छुरिया निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम :—

ग्राम :— हालेकोसा एवं भण्डारपुर.

अनुसूची—दो

छुरिया निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चंदैनीडीह, घोघरे, डूमरडीह, भण्डारपुर, हालेकोसा एवं बनियाटोली ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बनियाटोला, हालेकोसा एवं ग्राम शिकारीमहका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम शिकारीमहका, तेन्दुटोला, घुपसाल एवं ग्राम कुमर्राछुरियर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुमर्राछुरिया, छुरियाकला, चंदैनीडीह एवं ग्राम घोघरे की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	देवरसुर्रा प.ह.नं. 32	1.407	कार्यालय अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत छपोरा लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तरडा प.ह.नं. 32	3.352	कार्यालय अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत कोडपाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोडपाली प.ह.नं. 39	0.479	कार्यालय अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत कोडपाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	देवलसुर्रा प.ह.नं. 05	1.892	कार्यालय अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत कोडपाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक/8046/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-कोरन्धा, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.780 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.413
507	0.364
720	0.010
610	0.010
611	0.020
612/1	0.010
612/2	0.010
607	0.030
606	0.010
604/3	0.010
603	0.030
669	0.020
672	0.020
675/1	0.010
676/1	0.010
576	0.070
699/1	0.040
711/2	0.070
699/3	0.010

(1)	(2)
699/2	0.010
711/1	0.020
764	0.060
766/1	0.010
718	0.040
719	0.030
722	0.010
724	0.030
723	0.030
724/2	0.040
758/1	0.010
758/2	0.050
757	0.030
762	0.070
763/1	0.020
763/2	0.030
765	0.080
721/2	0.043
योग 37	1.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-व्यपवर्तन सिंचाई योजना (शीर्ष एवं नहर कार्य) कोरन्धा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक/8047/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

(ख) तहसील-कुसमी

(ग) नगर/ग्राम-जिरहूल, प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
274	0.008
275	0.020
276/1	0.024
276/2	0.012
268	0.093
269	0.036
79	0.041
258	0.012
259	0.004
270	0.008
77	0.008
255	0.028
227/1	0.008
227/2	0.020
229/2	0.016
251/2	0.028
222	0.012
218/2	0.069
218/1	0.020
234	0.004
235	0.053
80	0.012
219/1	0.016
219/2	0.032
252	0.008
282/1	0.045
282/2	0.008
281/1	0.004
281/2	0.004
279/1	0.041
279/2	0.008
280/1	0.016
280/2	0.028
280/3	0.028
232/2	0.036
236/1	0.036
योग 36	0.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण जिरहुल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक/8048/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-करकली पश्चिम, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.645 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.041
27	0.020
32	0.020
45	0.049
46	0.045
31	0.121
15/1	0.024
16	0.020
26	0.004
47/2	0.069
19	0.073
25	0.036
18	0.053
5/3	0.045
8/1 k	0.081
10	0.061
198	0.012
198	0.028
199	0.206
91	0.069
92	0.049
90/758	0.004
418/1	0.024
426	0.012
409	0.004
200/2	0.016
5/2	0.041
5/1	0.032
8/2	0.041
47/1	0.028
47/3	0.012
24/2	0.016
8/1 kh	0.041
105	0.024
424/1	0.049
424/2	0.020
24/1	0.049
77/1	0.008
77/2	0.041
90	0.145
87/2	0.016
86/2	0.016
84/4	0.057
428/7	0.028
428/8	0.004
417/1	0.012
427	0.053
425/2	0.016
417/2	0.012
420	0.036
416	0.065
418/2	0.020
114	0.008
113	0.081
117/1	0.121
130	0.036
132/1	0.024
133	0.036
135	0.049
103	0.020
104	0.016
421/1	0.016
421/6	0.036
417/3	0.045
117/2	0.028
132/2	0.020
21	0.041
योग 67	2.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण करकली पश्चिम हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक/8049/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-दात्रम, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.318 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.052
396	0.024
562	0.362
142	0.045
164	0.061
235	0.052
311	0.045
312	0.052
563	0.809
521/2	0.057
394	0.065
157	0.028
422	0.097
102	0.004
105	0.032
701	0.012
55/1	0.032
425	0.028
435	0.073
54	0.004
521/20	0.285
80	0.004
426	0.036
428	0.013
427	0.036
73	0.004
74	0.028
55/2	0.048
688	0.004
57	0.032
59	0.012
62	0.020
100	0.045
143	0.069
51	0.020
437/4	0.057
378/3	0.840
384	0.028
385	0.012
411	0.085
412	0.020
141	0.032
156	0.028
179	0.004
180	0.065
181	0.036
334	0.049
240	0.016
241	0.045
296	0.016
307	0.061
436/3	0.028
56	0.004
97	0.036
666	0.041
663	0.041
101	0.012
144/1	0.036
521/9	0.020
71/2	0.020
436/2	0.028
71/1	0.012
436/1	0.024
52/2	0.032
योग 64	4.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दात्रम जलाशय के डूबान एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/8094/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-लेफुआटोली, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.637 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	293	0.020
	297	0.012
	291/2	0.028
	344	0.020
	350	0.036
	476	0.012
	465/2	0.024
	464	0.028
	462	0.008
	461	0.020
	398	0.012
	399	0.012
	425/1	0.061
	443	0.036
	458	0.008
	459	0.016
	448	0.032
	451	0.016
	454	0.008
	456	0.008
	457	0.008
	452	0.016
	440/3	0.004
	434/2	0.004
	440/4	0.032
	431/1	0.004
	435/2	0.008
	436	0.008
	438	0.024
	439	0.020
	431/2	0.004
	298/1	0.016
	298/2	0.012
	465/1	0.012
	349/2	0.012
	349/1	0.036
योग	36	0.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण लेफुआटोली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/8097/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-मोतीनगर, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259/2	0.004
514/4	0.016
536/4	0.020

(1)	(2)
259/3	0.016
533/5	0.041
536/5	0.036
260/3	0.016
260/1	0.061
260/2	0.061
396	0.036
543	0.045
543/1	0.032
419/1	0.020
263	0.020
511/1	0.028
270	0.004
409	0.016
540/2	0.004
262/2	0.028
543/3	0.049
541	0.049
539/2	0.036
383/1	0.041
534/1	0.048
383/2	0.036
261	0.004
269	0.004
382/3	0.004
536/1	0.069
514/5	0.016
533/4	0.016
385/3	0.041
385/2	0.036
384/1	0.004
385/1	0.020
397/1	0.012
391	0.089
395/2	0.028
398/2	0.012
417/3	0.028
395/1	0.024
417/1	0.049
398/1	0.012
397/2	0.012
514/6	0.012
397/3	0.016
514/7	0.016
514/1	0.073
514/2	0.028
514/3	0.028
410	0.024
411	0.016
412	0.041
414	0.012
416	0.008
413/2	0.008
417/2	0.028
446/1	0.028
421	0.004
422	0.073
419/2	0.049
530	0.028
513/1	0.016
533/1	0.004
531	0.121
540/1	0.065
423/1	0.049
423/2	0.073
427	0.061
420	0.028
योग 70	2.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण मोतीनगर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक/8098/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-जिगनिया, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.401 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1494	0.636
	1495	0.636
	1496	0.105
	1449/3	0.024
योग	04	1.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण जिगनिया हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हरावंड, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	267	0.14
	268	0.12
	269	0.07
	270	0.05
	258	0.10
	259	0.08
	260	0.09
	261	0.10
	262	0.10
	263	0.07
योग	10	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हरावंड उद्वहन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर तथा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 23 जून 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/726/वि.यो./नग्रानि/2017.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत् मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंगीकरण की सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग 1 पृष्ठ 848 में दिनांक 26 मई 2017 को मुद्रित हुई थी जिसके पैरा क्रमांक 2 में त्रुटिवश संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अंकित हो गया है. जिसे सुधार करते हुए सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कोरिया पढ़ा जावे.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 23 जून 2017

क्रमांक/726/वि.यो./नग्रानि/2017.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक ......बैकुण्ठपुर दिनांक .... द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चैनपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं चनवारीडांड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मनेन्द्रगढ़ एवं चैनपुर ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चनवारीडांड़ एवं मनेन्द्रगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चनवारीडांड़ की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल — कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्ट्रेट परिसर, रूम नं. 108, 109, 110, 101 बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया छ.ग.

No./726/वि.यो./नग्रानि/2017.—The existing land use map and register for the Manendragarh Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. .... Baikunthpur, date ....

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Manendragarh Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Korea. Under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Manendragarh Planning Area

NORTH : Village Chainpur, Manendragarh and upto the Northern limit of Chanwaridand.
EAST : Village Manendragarh upto the Eastern limit of Chainpur.
SOUTH : Village Chanwaridand and upto the Southern limit of Manendragarh.
WEST : Upto the Western limit of Village-Chanwaridand.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgrah Gazzette.

Inspection Site :— Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Collectorate Parisar, Room No. 108, 109, 110. 101 Baikunthpur, Distt.-Korea (C.G.)

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सिरपुर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक/4982/सिरपुर/SADA/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में सिरपुर "साडा" निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 240 महासमुन्द, दिनांक 22-02-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिरपुर "साडा" निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मुडियाडीह, चुहरी एवं बोरीद की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बोरीद, केडियाडीह, खिरसाली, बंदोरा, छपोराडीह एवं जलकी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जलकी, बांसकुड़ा, बिरबिरा, कसलडीह, गुडरूडीह, पिरदा एवं खैरझिटी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खैरझिटी, तेंदुवाही, मालीडीह, कुकराडीह, परसाडीह, पीढ़ी, मोहकम, खड़सा, सिरपुर, खमतराई, केडियाडीह, कर्राडीह, पासीद एवं मुडियाडीह की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत भवन, महासमुन्द जिला-महासमुन्द (छ.ग.).

No./4982/सिरपुर/SADA/2017.—The existing land use map and register for the Sirpur "SADA" Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 240 Mahasamund date 22-02-2017.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Sirpur "SADA" Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Chief Executive Officer, Sirpur Special Area Development Authority under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on deted.

SCHEDULE

Limit of SADA Sirpur Planning Area

NORTH : Village Mudiyadih, Chuhari & upto Northern Limit of Village-Borid.
EAST : Village Borid, Kediyadin, Khirsali, Bandora, Chhaporadih & upto Eastern Limit of Village-Jalki.
SOUTH : Village Jalki, Banskuda, Birbira, Kasaldih, Gudrudih, Pirda & upto Southern Limit of Village-Khairjhiti.
WEST : Village Khairjhiti, Tenduwahi, Malidih, Kukradih, Parsadih, Pidhi, Mohkam, Khandsa, Sirpur, Khamtarai, Kediyadih, Karradih, Pasid & upto Western Limit of Village-Mudiyadih.

The said adopted map and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Chief Executive officer, Sirpur Special Area Development Authority, Zila panchayat Building, Mahasamund, Distt.-Mahasamund (C.G.)

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

बेरला, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक/3923/न.ग्रा.नि./वि.यो. बेरला/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बेरला निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21-10-2016 को प्रकाशित किया गया.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बेरला निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रतिलिपि अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बेरला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सिलघट, तारालीम, सोरला की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सोरला, कुसमी, बांसा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बांसा, बहेरा, बोरिया की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बोरिया, हतपान, करामाल, सिलघट की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

No./3923/T&CP/D.P.-Berla/2016.—The existing land use map & register for the Berla Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on date 21-10-2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that the existing land use map & register of Berla Planning Area, existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Commissioner Cum-Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication on Chhattisgarh Gazette, Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of the Berla Planning Area

NORTH : Village Silghat, Taralim, Sorla, upto north Boundary.
EAST : Village Sorla, Kusmi, Bansa upto East Boundary.
SOUTH : Village Bansa, Bahera, Boriya upto South Boundary.
WEST : Village Boriya, Hatpan, Karamal, Silghat upto West Boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning Durg C.G.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

न्यायालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक/13707/रीडर/2017.—श्री दुर्गा रजक पिता संतराम रजक पार्षद वार्ड क्र. 11 नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के द्वारा दिनांक 23-08-2017 को नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया.

छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40(1) के तहत् श्री दुर्गा रजक पिता संतराम रजक पार्षद वार्ड क्र. 11 नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. का उपाध्यक्ष पद से प्रस्तुत किया गया त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

एस. भारती दासन,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़

कबीरधाम, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्रमांक/666/ख.लि./स्था./2017-18.—छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के उपनियम 33 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कबीरधाम के निचे दि गई तालिका में घोषित क्षेत्र इस विज्ञप्ति के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के 30 दिवस के पश्चात खनि रियायत हेतु उपलब्ध होगा.

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का नं.	खसरा क्र.	रकबा	खनिज	भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कबीरधाम	स. लोहारा	तालपुर/ प.ह.नं. 5	39/1	3.420 एकड़ हे. 1.384 में से 3.00 एकड़ (1.214 हे.)	निम्न श्रेणी चूना पत्थर	भूमि स्वामी हक की निजी भूमि

नोट :— वर्णित क्षेत्र पर श्री जय कुमार मुदलियार निवासी राजनांदगांव को दिनांक 30-12-2002 से 29-12-2007 तक 3 एकड़ क्षेत्र पर खदान स्वीकृत रही है. वर्तमान समय में लगभग पूर्ण विकसित खदान है.

नीरज कुमार बंसोड़,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th June 2017

No. 885/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Services as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shyam Lal Nawratana, III Additional District and Sessions Judge.	Ambikapur	Pratappur	Surajpur	Additional District and Sessions Judge.
2.	Shri Anand Ram Dhidhi, II Additional District and Sessions Judge.	Janjgir	Kondagaon	Kondagaon	Additional District and Sessions Judge.
3.	Shri Gregory Tirkey, II Additional District and Sessions Judge.	Dantewara	Dhamtari	Dhamtari	Additional District and Sessions Judge.
4.	Shri Yashwant Kumar Sarthi Deputy Secretary, C.G. Lok Ayog.	Raipur	Mahasamund	Mahasamund	I Additional District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th June 2017

No. 887/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District and Sessions Judge.	Balod	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Noordeen Tigala, District and Sessions Judge.	Raigarh	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.
3.	Shri Ram Kumar Tiwari, District and Sessions Judge.	Bemetara	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District & Sessions Judge.
4.	Shri Doctorlal Katakwar, Principal Judge, Family Court.	Durg	Surajpur	Surajpur	District & Sessions Judge.
5.	Shri Ramashankar, Judge, Family Court.	Mahasamund	Balod	Balod	District & Sessions Judge.
6.	Shri Rajnish Shrivastava, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Jashpur	Jashpur	District & Sessions Judge.
7.	Shri Balram Prasad Verma, President, District Consumer Forum.	Rajnandgaon	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	District & Sessions Judge.
8.	Shri Vijay Kumar Ekka, Special Judge (P.A.) Act.	Korba	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	District & Sessions Judge.
9.	Shri Anand Kumar Singhal, Additional Secretary, Government of C.G., Law Department.	Raipur	Bemetara	Bemetara	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th June 2017

No. 889/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of special judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Yogesh Pareek, Additional District & Sessions Judge.	Dhamtari	Korba	Korba	Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.

Bilaspur, the 4th July 2017

No. 913/Confdl./2017/II-1-4/2016.—Hon'ble Shri Justice Anil Kumar Shukla, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 01-07-2017 in the afternoon on the eve of his Lordship attaining the age of 62 years.

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक 127/दो-2-18/2006.—श्री गनपत राव, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 30-04-2017 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2017

क्रमांक 176/दो-2-21/2002.—श्री महादेव कातुलकर, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य की दिनांक 31-05-2017 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 26th August 2017

No. 1002/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order No. 588/Confdl./2015/II-2-4/2002 dated 06-08-2015 and 131/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Pt.-II) dated 30-01-2017, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Shakti Singh Rajput	01-04-2017
2.	Smt. Dhaneshwari Sidar	01-05-2017
3.	Shri Hirendra Singh Tekam	01-06-2017
4.	Shri Satyendra Kumar Sahu	01-06-2017
5.	Shri Jitendra Kumar	01-06-2017
6.	Mohd. Rizwan Khan	27-06-2017
7.	Shri Shyam Lal Nawratana	27-06-2017
8.	Shri Mansoor Ahmed	27-06-2017
9.	Shri Chhameshwar Lal Patel	01-07-2017
10.	Smt. Vinita Warner	28-07-2017
11.	Shri Dileshwar Singh Rathiya	28-07-2017

Bilaspur, the 26th August 2017

No. 1004/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	IV Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.	III Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 47/L.G./2017/II-2-29/2016.—Shri Ajay Singh Rajput, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 19 days from 20-02-2017 to 10-03-2017 along with permission to leave headquarters from 19-02-2017 to 14-03-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajput, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 143 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).